(19)

माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

राजेश पिता लालचन्द्र तंवर, जाति– बागरी
उम्र– 50 वर्ष, धंधा– कृषि,
निवासी– हाटपिपल्या तह. हाटपिपल्या जिला देवास (म.प्र.)

-------- निगरानीकर्ता

–– विरूद्ध ––

श्री........................
द्वारा आज दि. 21-2-17 ......को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील हाटपिपल्या जिला देवास (म.प्र.)

2 पटवारी हल्का नंबर 32 हाटपिपल्या जिला देवास (म.प्र.) –– प्रतिनिगरानीकर्तागण

आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत प्रकरण क्रमांक 5/अ–68/16–17 आदेश दिनांक 04/02/2017 से असंतुष्ट व दुःखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 701–पीबीआर/17 जिला **देवास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार, तहसील हाटपीपल्या जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश से आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि स्थगन देने अथवा नहीं देने संबंधी निष्कर्ष संबंधित पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है और वे स्थगन के संबंध में प्रकरण की परिस्थितियों को देखने हुये निर्णय लेते हैं । अतः यह निगरानी अधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	